

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 309 और वर्ष 2018

गोकुल कृपा कालोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. रजि कार्यालय 36, लक्ष्मीनारायण विहार मानसरोवर, जयपुर, श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र किशन लाल अग्रवाल, रजत अग्रवाल पुत्र मनोज अग्रवाल निवासी एस-13ए महावीर मार्ग सी-स्कीम, जयपुर, व श्रवण लाल चौधरी पुत्र नारायण लाल चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम फगोडियावाला तहसील सांगानेर।

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 09/11/19

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	स्वामित्व
तहसील जयपुर जिला जयपुर	जयचन्दपुरा	95/1 शा.नं. 111	4 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा 05 बिस्वा 15 बिस्वांशी	दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र किशन लाल अग्रवाल, रजत अग्रवाल पुत्र मनोज अग्रवाल निवासी एस-13ए महावीर मार्ग सी-स्कीम, जयपुर
		96	7 बीघा 18 बिस्वा में से 5 बीघा 18 बिस्वा	
		97	5 बीघा 11 बिस्वा	
		98	13 बीघा 09 बिस्वा	
		98/131	4 बीघा 10 बिस्वा	
		110/1	4 बीघा 07 बिस्वा	
		99/1शा.नं. 101/1, 108/1	13 बिस्वा	गोकुल कृपा कालोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. रजि कार्यालय 36, लक्ष्मीनारायण विहार मानसरोवर, जयपुर
		99/2	17 बिस्वा	
		99/8शा.नं. 101, 108	1 बीघा	श्रवण लाल चौधरी पुत्र नारायण लाल चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम फगोडियावाला तहसील सांगानेर
		9	39 बीघा 10 बिस्वा 15 बिस्वांशी अर्थात 10 हैक्टर	

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और सचिव जविप्रा, जयपुर की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है ग्राम जयचन्दपुरा तहसील जयपुर के खसरा 95/1शा.नं.111, 96, 97, 98, 98/131, 110/1, 99/1शा.नं. 101/1-108/1, 99/2, 99/8शा.नं.101-108 कुल किता 9 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा 15 बिस्वांशी अर्थात 10 हैक्टर में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा एवं ख.नं. 95/1 शा.नं. 111 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा 05 बिस्वा 15 बिस्वांशी व ख.नं. 96 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा में से 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि का तरमीमशुदा नक्शा सलंगन है।
- (5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमीयम नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् जविप्रा, जयपुर द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
- (7) यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 09.11.19 को पारित किया गया।

उपा. (राजक.मा.सि.वि.) प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त, जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
दिनांक 09/11/19

क.स. जविप्रा/उपा./जोन-12/2019/ D-06

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार/उपतहसीलदार, तहसील जयपुर को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर सचिव, जविप्रा, जयपुर और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।

उपा. (राजक.मा.सि.वि.) प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त, जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर